मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय–भोपाल

क्रमांक :1996/2018/17/मेडि–1 भोपाल, दिनांक 17.05.2018

प्रति,

डॉ. कैलाश गर्ग
चिकित्सा अधिकारी,
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हतुनिया,
जिला मन्दसौर (म.प्र.)

विषयः– कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित अधिकारी के विरूद्ध विभागीय जांच– डॉ. कैलाश गर्ग, चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हतुनिया जिला मन्दसौर (म.प्र.)।

–00–

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता हैं कि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम–1966 के अन्तर्गत आपके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का प्रस्ताव है। जिसका उल्लेख संलग्न आरोप–पत्र में दिया गया है। अभिकथन जिस पर आरोप आधारित हैं, उसका विवरण संलग्न अभिकथन पत्र में दिया गया है। आरोप पत्र, अभिकथन पत्र की प्रति संलग्न हैं। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई है ।

2. आपसे इस सूचना के द्वारा यह अपेक्षा की जाती हैं कि आप इस पत्र के मिलने के 15 दिवस के अंदर अपना प्रतिवाद उत्तर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजते हुए बतायें कि :–

(अ) क्या आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं ?

(ब) यदि आप अपने बचाव पक्ष में किसी गवाह आदि का नाम देना चाहते हैं तो उन गवाहों की सूची पूर्ण पते सहित भेजें।

(स) यदि आप अपने बचाव पक्ष में किन्हीं अभिलेखों को प्रस्तुत करना चाहते हैं तो उन अभिलेखों की सूची विस्तृत जानकारी के साथ प्रस्तुत करें।

(द) यदि आप आरोप–पत्र आदि के साथ संलग्न अभिलेखों की सूची में दर्शित अभिलेखों को देखना चाहते हैं तो आप किसी भी कार्य दिवस में देखें। यह कार्य पत्र के प्राप्त होने के 10 दिवस के अंदर समाप्त कर दिया जाये ।

3. आपको यह भी सूचित किया जाता हैं कि यदि आपके बचाव पक्ष का लिखित प्रतिवाद उत्तर नियत समयावधि अर्थात् 15 दिवस में प्राप्त नहीं होता है तो आपके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

संलग्न :– आरोप–पत्र, अभिकथन पत्र,
अभिलेखों की सूची ।

(कवीन्द्र कियावत)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

पृ. क्रमांक :1996/2018/17/मेडि–1 भोपाल, दिनांक 17.05.2018

प्रतिलिपि:–

(1) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला मन्दसौर की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि डॉ. कैलाश गर्ग, चिकित्सा अधिकारी को उनके अंतिम पदस्थापना स्थल अथवा सेवा अभिलेख में उपलब्ध निवास के पते पर तामील करायें। यदि पत्र की व्यक्तिगत तामिली संभव न हो सके तो इसे अंतिम पदस्थापना स्थल या स्थाई निवास स्थल पर चस्पा कर तामिली करायें तथा तामिली प्रतिवेदन संलग्न पत्रक अनुसार अधोहस्ताक्षरकर्ता को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

:: आरोप–पत्र ::

डॉ. कैलाश गर्ग, चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हतुनिया जिला मन्दसौर के विरूद्ध मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 14 (3) के अंतर्गत निम्न आरोप अधिरोपित किए जाते हैं :–

आरोप कमांक –1

यह कि आप डॉ. कैलाश गर्ग दिनांक 06.01.2018 से निरंतर बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाये गये।

आरोप कमांक –2

यह कि आप अपने पदस्थापना स्थल पर नियमित एवं निर्धारित समय पर उपस्थित नहीं होते है।

इस प्रकार आप अपने पदीय दायित्वों का उचित प्रकार निर्वहन न कर मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के उपनियम (1) (i),(ii),(iii) तथा नियम 7 का उल्लंघन कर अपने कार्य के प्रति कर्तव्य परायण एवं संनिष्ठ नहीं रहते हुये अनुशासनात्मक कार्यवाही के भागी बन गये है।

(कवीन्द्र कियावत)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

:: अभिकथन पत्र ::

डॉ. कैलाश गर्ग, चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हतुनिया जिला मन्दसौर, मध्य प्रदेश के विरूद्ध मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 14 (3) लगाए गए आरोपों के समर्थन में विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है :–

आरोप क्रमांक 1 के लिये :–

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला मन्दसौर के पत्र क्रमांक/स्थापना/2018/3047, दिनांक 04.05.2018 अनुसार आप दिनांक 06.01.2018 से निरंतर बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हो गये है। आपका यह कृत्य शासकीय सेवक के लिए निर्धारित आचरण के अनुरूप न होकर दुराचरण की श्रेणी में आता है।

आरोप क्रमांक 2 के लिये :–

आपकी पदस्थापना प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हतुनिया जिला मन्दसौर में आम जनता को उचित सेवाऐं उपलब्ध कराने के लिये करते हुए आपसे यह अपेक्षा की गई थी कि आप अपने कर्तव्य स्थल पर नियमित एवं समय पर उपस्थित होकर अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन करेंगे, परन्तु आप दिनांक 06.01.2018 से निरंतर अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाये गये।

इस प्रकार आपका उक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 उपनियम (1) (i),(ii),(iii) तथा सहपठित नियम 7 के अनुरूप न होकर दुराचरण की श्रेणी में आता हैं। इस प्रकार आपने उक्त नियमों का पालन न कर अपने कार्य के प्रति संनिष्ठ एवं कर्तव्यपरायण न रहते हुए अपने आपको अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागी बना लिया है।

(कवीन्द्र कियावत)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

:: <u>अभिलेखों की सूची</u> ::

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला मन्दसौर की ओर उनके पत्र क्रमांक/स्थापना/2018/3047 दिनांक 04.05.2018 के संदर्भ में।

(कवीन्द्र कियावत)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

C:\Users\User\Desktop\Bagde-Absent-Data\Arop-Patra-part-II.doc

तामीली प्रतिवेदन

कार्यालय, सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से प्राप्त सूचना पत्र कमांक .... दिनांक .... जो लम्बी अवधि से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित डॉ. कैलाश गर्ग, चिकित्सा अधिकारी को जारी किया गया है, की प्रति कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला मन्दसौर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई ।

साक्षीगणः

1. ....

.... (कार्या. प्रभारी के हस्ता एवं नाम)

जिला ....

2. ....

तामीली प्रतिवेदन

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हतुनिया जिला मन्दसौर, मध्य प्रदेश से लम्बी अवधि से अवैधानिक रूप से अनुपस्थित रहने बाबत् सूचना पत्र क्रमांक .... दिनांक........................... डॉ. कैलाश गर्ग, चिकित्सा अधिकारी के अवासीय पते पर निम्न गवाहों के समक्ष तामील करवाया गया /मकान पर चस्पा किया गया ।

---

1. ....

गवाह का नाम व हस्ताक्षर (व्यक्तिगत तामीली की दशा में प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर)

2. ....

गवाह का नाम व हस्ताक्षर

....

(व्यक्तिगत तामीली करवाने वाले /चस्पा करने वाले के हस्ताक्षर)

3. ....

गवाह का नाम व हस्ताक्षर

4. ....

गवाह का नाम व हस्ताक्षर

5. ....

गवाह का नाम व हस्ताक्षर

प्रतिहस्ताक्षरित

....

(कार्या. प्रभारी के हस्ताक्षर)